

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग का
क्र. 1-6159187
दिनांक 09/10/2026

क्रमांक :: एफ GAD/19/0007/2026-GAD-4-01(GAD)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 09/10/2026

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार, रेल मंत्रालय।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संबंधित विभागाध्यक्ष।

विषय:- रेलवे परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर रेलवे परियोजना समन्वय समितियों (Railway Projects Coordination Framework) के गठन के संबंध में।

संदर्भ:- अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार, रेल मंत्रालय का पत्र क्रमांक 2018/W-I/Genl./LandacquisitionPt.1 (E-3463067), दिनांक 01.09.2026.

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य में रेलवे की नई रेल लाईन, गेज कन्वर्जन, मल्टी-ट्रैकिंग, ROB, RUB आदि परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, वन स्वीकृति, विधि-व्यवस्था एवं अन्य संबंधित विषयों के समयबद्ध निराकरण हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रभावी समन्वय आवश्यक है।

रेलवे बोर्ड द्वारा इस हेतु Railway Projects Coordination Framework (RPCF) अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर समन्वय समितियों के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। उक्त प्रस्ताव अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न समितियां गठित करता है:-

1. जिला स्तरीय रेलवे परियोजना समन्वय समिति

क्र.	पदनाम	समिति में पद
1	कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी	अध्यक्ष
2	रेलवे के संबंधित उप मुख्य अभियंता/मुख्य परियोजना प्रबंधक	समन्वयक एवं एजेंडा जारीकर्ता
3	जिला स्तर की DISHA समिति बैठक हेतु नामित रेलवे के मंडलीय अधिकारी	सदस्य
4	वन मंडल अधिकारी	सदस्य
6	कार्यपालन यंत्री, म.प्र. मध्य/पूर्व/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	सदस्य
7	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
8	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग	सदस्य
9	उप महाप्रबंधक, जल निगम	सदस्य
10	अधीक्षण पुरातत्वविदु, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	सदस्य
11	सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	सदस्य
12	मुख्य नगर निगम/मुख्य नगर पालिका/मुख्य नगर परिषद अधिकारी	सदस्य

बैठक की आवृत्ति:- प्रत्येक माह में एक बैठक आयोजित की जाएगी।

निरंतर.....02

2. संभाग स्तरीय रेलवे परियोजना समन्वय समिति

क्र.	पदनाम	समिति में पद
1	संभागायुक्त	अध्यक्ष
2	जोनल रेलवे के संबंधित मुख्य अभियंता/मुख्य परियोजना प्रबंधक	समन्वयक एवं एजेंडा जारीकर्ता
3	राज्य स्तरीय DISHA समिति बैठक हेतु नामित अपर मंडल रेल प्रबंधक	सदस्य
4	मुख्य वनसंरक्षक, वन विभाग	सदस्य
5	अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6	अधीक्षण यंत्री, म.प्र. मध्य/पूर्व/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	सदस्य
7	अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग	सदस्य
8	महाप्रबंधक, जल निगम	सदस्य
9	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	सदस्य

बैठक की आवृत्ति:- प्रत्येक दो माह में एक बैठक आयोजित की जाएगी।

3. प्रमुख सचिव स्तरीय रेलवे समन्वय समिति

क्र.	पदनाम	समिति में पद
1	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग	अध्यक्ष
2	रेलवे के संबंधित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)	समन्वयक एवं एजेंडा जारीकर्ता
3	राज्य स्तरीय DISHA समिति बैठक हेतु नामित मंडल रेल प्रबंधक	सदस्य
4	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग	सदस्य
5	सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
6	प्रबंध संचालक, म.प्र. मध्य/पूर्व/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	सदस्य
7	प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग	सदस्य
8	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य

बैठक की आवृत्ति:- प्रत्येक तीन माह में एक बैठक आयोजित की जाएगी।

निरंतर.....03

4. राज्य स्तरीय रेलवे परियोजना समन्वय समिति

क्र.	पदनाम	समिति में पद
1	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	रेलवे के संबंधित महाप्रबंधक (GM)	समन्वयक एवं एजेंडा जारीकर्ता
3	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, उर्जा विभाग	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य

बैठक की आवृत्ति:- प्रत्येक छः माह में एक बैठक अथवा आवश्यकता अनुसार बैठक आयोजित की जाएगी।

उक्त समितियों की बैठकों में रेलवे परियोजनाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, यूटिलिटी शिफ्टिंग, विधि-व्यवस्था, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन तथा अन्य संबंधित विषयों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित आवृत्ति के अनुसार आयोजित बैठकों में आवश्यक जानकारी सहित सहभागिता सुनिश्चित करें तथा अपने विभाग से संबंधित प्रकरणों में समयबद्ध कार्यवाही करें, जिससे रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
Digitized by Jayendra Kumar Vijaywat
Date: 09-10-2026
11:00:00 (जयेंद्र कुमार विजयवत)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 09/10/2026

पृ क्रमांक: एफ GAD/19/0007/2026-GAD-4-01(GAD)

प्रतिलिपि :-

- 1- समिति के अध्यक्ष / समन्वयक / सदस्य,
 - 2- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल,
 - 3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
 - 4- उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल,
 - 5- उप सचिव (स्थापना) सामान्य प्रशासन विभाग की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें,
 - 6- संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग